

शिविर में लोगों को विधिक ज्ञान के साथ कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी

बिलाई में लगा बहुउद्देशीय शिविर

जागरूकता

पिपौराजगढ़ | हमारे संवाददाता

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मूनाकोट विकासखण्ड के बिलाई में पंचायत घर में बहुउद्देशीय चिकित्सा एवं विधिक जागरूकता शिविर लगाया।

सोमवार को आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ताओं ने लोगों की विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण



मूनाकोट विकासखण्ड के बिलाई पंचायत घर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बहुउद्देशीय चिकित्सा एवं विधिक जागरूकता शिविर लगाया। • हिन्दुस्तान

अधिनियम 2005, बालश्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, सूचना का अधिकार 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, पोक्सो कानून, भूमि आवंटन के संबंध में बताया गया।

104 लोगों का उपचार

चिकित्सक नरेंद्र शर्मा और डॉ. अंजू ने 104 लोगों का निशुल्क उपचार कर उनको दवा बांटी। औरडॉ. पीसी पंत ने 72 व्यक्तियों का निःशुल्क उपचार किया।

लोगों के बनाए प्रमाण पत्र

राजस्व विभाग ने 01 स्थायी प्रमाण पत्र, 02 आय प्रमाण पत्र, 01 जाति प्रमाण पत्र जारी बनाया। ग्राम्य विकास विभाग ने बीपीएल कार्ड के लिए 06 और परिवार रजिस्टर की नकल के लिए 15 प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही की गई।

ये रहे शामिल

सिविल जज सिनिवर डिविजन मनोज कुमार द्विवेदी, तहसीलदार राधेश्याम राणा, बीडीओ कवीन्द्र रावत, डीजीसी पृथ्वीराज सिंह बनकोटी, प्रमोद पंत, ज्योत्सना जोगी, लक्ष्मी भट्ट, रेनु ठाकुर, पीएलवी महेश चन्द्र जोशी, हीरा सिंह, प्रधान कुन्दन सिंह, अशोक भट्ट, प्रदीप पाठक सहित कई लोग मौजूद रहे।

बिलाई गांव के लोगों को दी कानून की जानकारी

पिपौराजगढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पिपौराजगढ़ के बिलाई गांव में आयोजित बहुउद्देशीय एवं विधिक सेवा जागरूकता शिविर में लोगों को कानूनी जानकारी दी गई। इस शिविर में लोगों के उपचार को प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा कई पत्राचार, जाति व आय के प्रमाण पत्र जारी किए गए। जिला जज नरेंद्र शर्मा के निदेश पर आयोजित शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता एवं सिविल जज सिनिवर डिविजन मनोज कुमार द्विवेदी सहित अधिवक्ताओं ने किशोर न्याय, पोक्सो कानून से संबंधित जानकारी दी। ग्राम्य विकास विभाग के बीपीएल कार्ड और बी.पी.एल. के 104 लोगों का प्रमाण पत्र बनाने का काम चलाया गया। ग्राम्य विकास विभाग की ओर से 06 स्थायी पत्र व 72 जाति व आय प्रमाण पत्रों पर कार्यवाही की गई।

Re

No.